प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक-20.09.2026**

➢ **थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 17.09.2026 को थाना रूरा पर दी गई लिखित तहरीर बावत वादिनी के घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त विनय उर्फ छोटे भईया पुत्र छुन्ना निवासी ग्राम बेनीगाँव, बनीपारा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा छेड़छाड़ करने आदि के सम्बन्ध में दी गई जिसके आधार पर थाना रूरा पर मु0अ0सं0 289/26 धारा 333/76/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम विनय उर्फ छोटे भईया पुत्र छुन्ना निवासी ग्राम बेनीगाँव, बनीपारा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 65(2) बीएनएस व 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा धारा 76 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट का लोप किया गया। थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिरखास की सूचना पर दिनांक 20.09.2026 को अभियुक्त विनय उर्फ छोटे भईया उपरोक्त को थाना रूरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम गुटैया बम्बा की तरफ जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण –

1. विनय उर्फ छोटे भईया पुत्र छुन्ना निवासी ग्राम बेनीगाँव, बनीपारा थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 26 वर्ष।

अभियुक्त विनय उर्फ छोटे भईया उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 289/26 धारा 333/352/351(3)/65(2) बीएनएस व 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री उदय सिंह
2. का0 94 सचिन कुमार।